संख्या:263151/XXX(2)/2024-E 77433

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 26 ~~नवम्बर~~ दिसम्बर, 2024

विषयः– अधिवर्षता आयु पूर्ण करके सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के सेवानिवृत्तिक देयकों के त्वरित निस्तारण तथा विदाई सम्मान समारोह आयोजित किए जाने के संबंध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में आया है कि जनपद स्तरीय कार्यालयों एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों में तैनात कार्मिकों की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त प्रायः उनके सेवानैवृत्तिक देयकों का भुगतान काफी विलम्ब से किया जा रहा है, जबकि उक्त देयकों के भुगतान में विलम्ब की रोकथाम के लिये, वित्त विभाग द्वारा भुगतान की कार्य प्रणाली का सरलीकरण शासनादेश संख्या–सा–3–1713/दस–87– 933/89, दिनांक 28 जुलाई, 1989 निर्गत किया गया है।

2. उपर्युक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभागाध्यक्ष कार्यालयों/निगमों/बोर्ड/आयोगों/संस्थानों एवं उपक्रमों के कार्यालयों तथा मण्डल व जनपद स्तरीय कार्यालयों में तैनात सभी श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों के अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने की तिथि अर्थात् प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस में एक विदाई सम्मान समारोह आयोजित किया जाये।

3. उक्त के अतिरिक्त संबंधित विभागाध्यक्ष, मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित कार्मिकों को ऐसे विदाई सम्मान समारोह में ही उनके समस्त सेवानैवृत्तिक देयकों यथा–पी०पी०ओ० (पेंशन, ग्रेच्युटी एवं कम्यूटेशन) अवकाश नगदीकरण, सामूहिक बीमा के भुगतान व जी०पी०एफ० में जमा 90 प्रतिशत धनराशि के भुगतान का आदेश नियमानुसार हस्तगत करा दिया जाय।

उपर्युक्त् के अतिरिक्त सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी/अधिकारी की लम्बी सेवा के दृष्टिगत उन्हें एक मोमेन्टों व एक ODOP के अंगवस्त्र से सम्मानित करते हुए उनके सेवा के दौरान के अनुभवों को साझा करते हुए अन्य कार्मिकों को सरकारी कार्य/सेवा के प्रति प्रेरित भी किया जाए।

भवदीय,

Signed by
Radha Raturi
Date: 23-12-2024 12:15:14

(राधा रतूड़ी)
मुख्य सचिव।

नोशनल वेतनवृद्धि जोड़ते हुए पेंशन की गणना की जाय। अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों की गणना में नोशनल वेतन वृद्धि को नहीं लिया जायेगा।

इस निर्णय से वे कार्मिक भी आच्छादित होंगे जो मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 11.04.2023 के उपरांत परन्तु शासनादेश निर्गत होने के पूर्व संबंधित वर्ष के 30 जून/31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त हुए तथा जिन्हें यथास्थिति 01 जुलाई/01 जनवरी को वेतनवृद्धि देय थी। परन्तु उन्हें यह लाभ तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य होगा तथा उन्हें एरियर का भुगतान अनुमन्य नहीं होगा।

Signed by
Dilip Jawalkar
Date: 29-12-2024 15:15:11
(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्या : : / XXVII (7)E-44768/2024, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3- महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
4- सचिव, विधानसभा सचिवालय, उत्तराखण्ड।
5- निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6- निदेशक,कोषागार, उत्तराखण्ड,देहरादून।
7- समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Signed by
Ganga Prasad
Date: 31-12-2024 12:57:09
(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।